मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा गृह विभाग से सम्बन्धित की गयी घोषणाओं का अद्यावधिक विवरण- दि0 13-12-12 तक

क्रसं0	घोषणा की विषय वस्तु	घोषणा की संख्या/दिनांक	सम्बन्धित अनुभाग का नाम	अद्यावधिक स्थिति
1	बैरकों में रह रहे पुलिस कर्मियों जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है, उन्हें मकान किराया भत्ता दिया जायेगा।	एवाई-32/12 30-10-12	गृह(पुलिस) अनु- 2 सचिव (क)	प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली संख्या-1600(460)/11 सहमति हेतु वित्त विभाग को दिनांक 7-11-12 को प्रेषित है। सहमति प्राप्त होने के उपरान्त शासनादेश निर्गत किया जायेगा।
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का वर्दी/धुलाई भत्ता प्रतिमाह रू012.00/-से बढ़ाकर रू0120. 00/- किया जायेगा।	एवाई-32/12 30-10-12	गृह(पुलिस) अनु-1 सचिव (ज)	धुलाई भत्ता की बढोत्तरी के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक से प्राप्त प्रस्ताव परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग की सहमति हेतु दिनांक 14.12.2012 को पत्रावली वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 को संदर्भित है।
3	महानुभावों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की रिर्जब पुलिस लाइन की भॉति आवासीय परिसर सुरक्षा लाइन की स्थापना की जायेगी	एवाई-32/12 30-10-12	गोपन अनु-4 सचिव (क)	सुरक्षा लाइन की स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था एस0एन0डी0 के माध्यम से किये जाने हेतु पत्रावली संख्या-34/5/ 10 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु-12 को दिनांक 8-11-12 को भेजी गयी थी विगत विधान मण्डल सत्र में एसएनडी का कोई प्रस्ताव न लिये जाने के कारण प्रश्नगत प्रस्ताव पर विचार नहीं हो पाने की अनौपचारिक सूचना वित्त विभाग द्वारा दी गयी है। विधान मण्डल के आगामी सत्र में यथासमय इस दिशा में पुनः कार्यवाही की जायेगी।
4	उपनिरीक्षक पद से निरीक्षक पद पर अब 50 प्रतिशत चयन वरिष्ठता के आधार पर तथा 50 प्रतिशत चयन परीक्षा पद्धति के आधार पर किया जायेगा।	एवाई-32/12 30-10-12	गृह(पुलिस) अनु-10 सचिव (क)	उपनिरीक्षक पद से निरीक्षक पद पर 50 प्रतिशत चयन वरिष्ठता के आधार पर तथा 50 प्रतिशत चयन परीक्षा पद्धति के आधार पर किये जाने हेतु उ0प्र0 उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक सेवा नियमावली 2008 में संशोधन हेतु पत्रावली संख्या-27(65) 2012 दिनांक 7-12-12 को परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को भेजी गयी थी, जो दिनांक 24.12.2012 को प्राप्त हो गयी है। प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के रूप में मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनार्थ पत्रावली प्रस्तुत की जा रही है।
5	मुख्य आरक्षी तथा उपनिरीक्षक पद के लिये विभागीय परीक्षा के अन्तर्गत 10 किमी0 दौड़ की अर्हता को कम किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।	एवाई-32/12 30-10-12	गृह(पुलिस) अनु-1 /10 सचिव (ज/क)	आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी नियमावली-2008 में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव पत्रावली संख्या-115/2008 उच्चादेश हेतु प्रस्तुत की गयी थी परन्तु कतिपय संशोधनो का औचित्य पाते हुए पुनः प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है।

6	प्रान्तीय पुलिस सेवा के सभी रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया दिनांक 15 नवम्बर,2012 तक पूर्ण कर ली जायेगी।	एवाई-32/12 30-10-12	गृह(पु0सें) अनु-1 सचिव (श)	पीपीएस संवर्ग में अपर पुलिस अधीक्षक विशेष श्रेणी-1 व पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान हेतु क्रमशः दिनांक 3-12-2012 व 8-12-12 को डीपीसी हो चुकी है, जिसमें क्रमशः 03 एवं 23 अधिकारियों के प्रोन्नति आदेश निर्गत किये जा चुके है। शेष 02 पदो के संबंध में (अपर पुलिस अधीक्षक एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी-2) के संबंध में आहूत विभागीय चयन समिति की बैठक में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात ही उक्त पदों पर प्रोन्नति किया जाना युक्तिसंगत होगा। वर्तमान में, भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, उक्त पदों पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में प्रोन्नतिं की कार्यवाही संपन्न कर ली जायेगी।
7	पीपीएस के कैडर रिब्यू का कार्य जनवरी 2013 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।	एवाई-32/12 30-10-12	गृह(पु0से) अनु-1 सचिव (श)	पीपीएस के समस्त पदो पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त काडर रिब्यू की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जायेगी।
8	आईपीएस संवर्ग में पीपीएस सेवा का कोटा 33.5 प्रतिशत से बढा कर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव एक सप्ताह में भारत सरकार को भेज दिया जायेगा।	एवाई-32/12 30-10-12	गृह(पु0से) अनु-2 सचिव (ज)	आईपीएस संवर्ग में पीपीएस सेवा का कोटा 33.5 प्रतिशत से बढा कर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाने हेतु पत्रावली संख्या-522(65)/ 2006 मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनार्थ दिनांक 12-12-12 को प्रस्तुत है, जिस पर विचारविमर्श करने की अपेक्षा की गयी है।
9	पुलिस निरीक्षक के पद को राजकीय अन्य समकक्ष सेवाओं की भॉति राजपत्रित घोषित करने के सम्बन्ध में दिनांक 15 दिसम्बर,2012 तक निर्णय ले लिया जायेगा।	एवाई-32/12 30-10-12	गृह(पुलिस) अनु-1 सचिव (ज)	पुलिस निरीक्षक के पद को राजपत्रित घोषित किये जाने का प्रस्ताव दिनांक 12-12-12 को पुलिस महानिदेशक से प्राप्त हो गया है, जो कि परीक्षणोपरान्त पत्रावली संख्या- 166/2008 टीसी कामिक अनुभाग-1 को दिनांक 12-12-12 को भेजी गयी है।

2697

शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की जाने वाली घोषणाओं के सम्बन्ध में टिप्पणी

क्रसं0	घोषणायें	आख्या/ टिप्पणी
1	2	3
1	शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत 3-4 वर्षो में क्या-क्या घोषणायें की गयी थी ?	शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत वर्षो में की गयी घोषणाएः- **वर्ष 2008** 1- बढती हुई महंगाई को देखते हुए प्रदेश पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के पौष्टिक आहार भत्ते में रू0 50/- की बृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। 2- अंशकालिक सफाई कर्मचारियों को प्रतिमाह दिये जाने वाले पारिश्रमिक की धनराशि को दो गुनी करते हुए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से रू0 600/- प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया है। अभी तक शहरी क्षेत्रों में इन कर्मचारियों को रू0 250/- पारिश्रमिक दिया जा रहा था, जिसे पिछले 11 वर्ष से नहीं बढाया गया था। 3- दस्यु ठोकिया को मुठभेड़ में मार गिराने वाले पुलिस कर्मियों को आउट आफ टर्न प्रोन्नति देने एवं 12 अधिकारियों व कर्मचारियों को 03-03 लाख रूपये की धनराशि पुरस्कार के रूप में देने का निर्णय लिया गया है। 4- प्रदेश पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों का मनोबल बढाने तथा उनका उत्साहबर्धन करने के लिये उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने पर पुलिस महानिदेशक द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र दिये जाने का निर्णय भी लिया गया है। 5- आतंकवादी/नक्सलवादी घटनाओं में मारे जाने वाले मृतकों की विधवाओं को मृतक कर्मचारी के सेवाकाल तक निःशुल्क आवास की सुविधा देने का भी निर्णय लिया गया है। 6- पुलिस थानों,चौकियों,पी0ए0सी0 बटालियन, जनपदों के प्रभारी, पुलिस अधीक्षकों के निवास/गोपनीय कार्यालय एवं पुलिस लाइन के अनुरक्षण आदि के लिये 20 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। 7- आतंकवादी एवं नक्सलवादी घटनाओं में विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए मारे जाने वाले पुलिस कर्मियों को दी जाने वाली अनुग्रह धनराशि को दो गुनी करने पर भी विचार कर रही है। 8- पुलिस कर्मियों के लिये एक विशिष्ट बीमा योजना का प्रारूप पुलिस महानिदेशक द्वारा तैयार कराया जा रहा है। जिस पर प्रस्ताव प्राप्त होते ही निर्णय ले लिया जायेगा। **वर्ष 2009** 1- प्रदेश में 30 महिला थाने व 37 अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। 2- प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं से निपटने हेतु आतंकवाद निरोधक दस्ता(ए0टी0एस0) को चार जोन में पुर्नगठित किये जाने, प्रदेश के सभी थानों को निरीक्षक स्तर का किये जाने तथा उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के गठन की स्वीकृति की जायेगी। 3- उ0प्र0 विभिन्न शाखाओं में पुलिस बल के नियतन हेतु मानकीकरण का पुर्ननिर्धारोपरान्त विभिन्न श्रेणी के कुल 02लाख 04 हजार 21 पदों पर भर्ती की जायेगी।

वर्ष 2010

1- पुलिस विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राजकीय अवकाश उपभोग न कर पाने के एवज में प्रत्येक वित्तीय विर्ष में एक माह के वेतन के बराबर अतिरिक्त वेतन दिये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है।

2- जनपदों में महिला थानों की स्थापना, आधुनिक नियंत्रण कक्ष के निर्माण एवं विस्फोटक सामग्री निष्क्रिय किये जाने हेतु नये बम डिस्पोजन स्क्यायड के गठन की स्वीकृति दी है।

वर्ष 2011

1- पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के भत्तों में बढ़ोत्तरी करने एवं अन्य विसंगतियों को दूर करने के फैसलों की जानकारी देते हुए मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके तहत पी0ए0सी0 के सेनानायक को रू01600/-, उपसेनानायक/अपर पुलिस अधीक्षक, सहायक सेनानायक/स्टाफ आफिसर, शिविरपाल को रू0 600/-, दलनायक को रू0 400/- सुबेदार मेजर, सुबेदार शिविरपाल को रू0 250/- प्लाटून कमाण्डर एवं नायक को रू0 200/-, मुख्य आरक्षी एवं लांस नायक को रू0 150/-एवं आरक्षी तथा समकक्ष को रू0 100/- प्रतिमाह का भत्ता स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा पौष्टिक आहार भत्ता के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक से उप निरीक्षक एवं लिपिकीय संवर्ग को रू0 600/-, हेड कांस्टेबिल एवं कांस्टेबिल को रू0 750/- तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रू0 650/- स्वीकृत किया गया है।

2- नक्सल क्षेत्र भत्ता के तहत उप सेनानायक एवं अपर पुलिस अधीक्षक को रू0 450/- तथा सहायक सेनानायक से चतुर्थ श्रेणी कर्मियों तक, को वर्तमान में अनुमन्य धनराशि का डेढ़ गुना प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है। एस0टी0एफ0 व ए0पी0एस0 में कार्यरत अपर पुलिस महानिदेशक से पुलिस उपाधीक्षक तक के अधिकारियों को उनके मूल वेतन का 15 प्रतिश्पत अधिकतम रू0 7500/- प्रति माह का भत्ता स्वीकृत किया गया है। निरीक्षक से चतुर्थ श्रेणी कर्मियों तक को उनके मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रू0 6500/- प्रतिमाह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। विशेष अनुसंधान दल के अपर पुलिस महानिदेशक से फालोवर तक के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम रू0 6500/- का भत्ता प्रतिमाह प्रदान करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग,भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, सर्तकता अधिष्ठान विभाग, अभिसूचना विभाग, सुरक्षा शाखा,विशेष जॉच शाखा में पुलिस अधीक्षक से आरक्षी चालक तक के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को उन्हें वर्तमान में देय विशेष वेतन एवं विशेष सेवा भत्ता के योग की 04 गुना धनराशि को विशेष वेतन के नाम से प्रतिमाह स्वीकृत किया है। इसी प्रकार वर्दी अनुरक्षण भत्ते के तौर पर पी0पी0एस0 अधिकारियों को रू0 300/- एवं अराजपत्रित अधिकारियों को रू0 150/- प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है उन्होने कहा कि पुलिस विभाग के कार्मिकों को भर्ती के समय रू0 6000/- एवं प्रत्येक 05 वर्ष पर रू0 6000/- का वर्दी भत्ता स्वीकृत किया गया है।

3- पुलिस विभाग के समस्त हेड कांस्टेबिल/ समतुल्य पद एवं कास्टेबिल/ समतुल्य पद पर प्रथम बार भर्ती के समय रू0 4800/- एवं प्रतिवर्ष रू0 1800/- का वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता देने का भी फैसला लिया है।

4- चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वर्दी भत्ता प्रथम बार रू0 4000/- एवं वर्दी नवीनीकरण भत्ता रू0 1200/- प्रतिवर्ष स्वीकृत किया गया है। इसके

		अलावा आरक्षी चालकों के लिये रू0 300/- प्रतिमाह चालन भत्ता स्वीकृत किया गया है। 5- आरमोरर, बिगुलर,नवी पुलिस,घुड़सवार पुलिस तथा बैण्ड पुलिस कर्मियों को भी विशेष वेतन/भत्ता दिये जाने का विचार किया जा रहा है इस सम्बन्ध में शीघ्र फैसला लिया जायेगा। 6- पुलिस बल के राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों, उनके आश्रितों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों व उनके परिजनों को उ0प्र0 सचिवालय कर्मियों की तरह संजय गॉधी पोस्ट ग्रेजूएट चिकित्सा संस्थान लखनऊ में कैश-लेस व्यवस्था के तहत चिकित्सा सुविधा दिये जाने का भी निर्णय लिया गया।
2	आरक्षियों का वर्दी भत्ता पहले कितना था ? छठें वेतन आयोग के बाद कितना बढ़ा ?	शासनादेश संख्या-4745/6-पु-7-08-12/85 दिनांक 22-11-2006 द्वारा हेड कांस्टेबिल/कां0 को रू0 1200/- वर्दी भत्ता प्रति वर्ष दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा छठे वेतन आयोग के बाद शासनादेश संख्या-2826/6-पु-1-11-151/09 दिनांक 20-10-2011 द्वारा पुलिस बल के समस्त हे0का0/समतुल्य पद एवं कां0/समतुल्य पद हेतु भर्ती के समय रू0 4800/- एवं प्रतिवर्ष रू0 1800/- की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
3	प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे पी0टी0एस0, पी0टी0सी0 आदि का साल में कितना उपयोग होता है तथा क्या जंगल बालफेयर स्कूल,सुरक्षा प्रशिक्षण विद्यालय एवं अभिसूचना प्रशिक्षण विद्यालय पी0टी0एस0 व पी0टी0सी0 आदि में स्थापित नहीं हो सकता ?	प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे पी0टी0एस0, पी0टी0सी0 आदि का साल में नियमित तौर पर उपयोग होता है। इन प्रशिक्षण संस्थानों में 26 प्रकार के आधारभूत/पदोन्नति कोर्स एवं 22 प्रकार के अल्पावधि कोर्स आयोजित कराये जाते है। जंगल बालफेयर स्कूल,सुरक्षा प्रशिक्षण विद्यालय एवं अभिसूचना प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना पी0टी0एस0 व पी0टी0सी0 आदि में उपर्युक्त/ वांछित भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण सम्भव नहीं है।
4	अन्य विभागों में वर्दी भत्ता की क्या दरें हैं?	अन्य विभागों यथा- सी0आर0पी0एफ0, आर0पी0एफ0 से जानकारी प्राप्त की गयी इन विभागों में नियुक्त कर्मियों को वर्दी भत्ता प्रदान नहीं किया जाता है बल्कि किट प्रदान की जाती । 1- शासनादेश संख्या-1388ई-1/तेरह-2003-56/98 दिनांक 30जून,2003 द्वारा आबकारी सिपाही को प्रत्येक तीन वर्ष बाद रू0 700/- वर्दी भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 2- उ0प्र0 सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तीन वर्ष में एक बार उलन वर्दी एवं सादी वर्दी प्रदान की जाती है। वर्दी भत्ता नहीं दिया जाता है बल्कि प्रत्येक कर्मचारी को रू0 20/-वर्दी धुलाई भत्ता प्रतिमाह प्रदान किया जाता है। 3- कलेक्ट्रेट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तीन वर्ष में एक बार उलन वर्दी एवं सादी वर्दी प्रदान की जाती है। वर्दी भत्ता नहीं दिया जाता है बल्कि प्रत्येक कर्मचारी को रू0 20/-वर्दी धुलाई भत्ता प्रतिमाह प्रदान किया जाता है।